अधीक्षण अभियंता (यॉ०) का कार्यालय

सिंचाई यांत्रिक अंचल मीठापुर पटना।

(Email- irrigationmechnicalmithapur@gmail.com)

भाड़े पर वाहन उपलब्ध कराने हेतु अति अल्पकालीन कोटेशन आमंत्रण सूचना संख्या (NIQ) –02/2025–26

पत्रांक– .... पटना, दिनांक–....../03/2026

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2026–27 के लिए अधीक्षण अभियंता(यॉ0), सिंचाई यॉत्रिक अंचल मीठापुर, पटना के अन्तर्गत कार्यालय कार्यो के साथ अंचलाधीन योजनाओं के अनुश्रवण एवं निरीक्षण अथवा सम्पर्क कार्य उच्चाधिकारियों की बैठकों में भाग लेने इत्यादि कार्यो हेतु भाड़े पर अधीक्षण अभियंता(यॉ0), सिंचाई यॉत्रिक अंचल मीठापुर, पटना हेतु 01 (एक) अदद वातानुकूलित स्कार्पियो निम्नांकित शर्तो के अधीन इच्छुक वाहन मालिकों/फर्म से अति अल्पकालीन कोटेशन आमंत्रित किया जाता है।

1. कोटेशन आमंत्रण सूचना निर्गत करने की तिथि : दिनांक 18.03.2026
2. कोटेशन जमा करने की अवधि : दिनांक 30.03.2026 को 03:00 बजे अपराह्न तक।
3. कोटेशन जमा करने का स्थान : अधीक्षण अभियंता (यॉ0), सिंचाई यॉत्रिक अंचल मीठापुर, पटना के कार्यालय में।
4. कोटेशन खोलने की तिथि एवं समय : दिनांक 30.03.2026 को 03:30 बजे अपराह्न में।
5. विज्ञापनदाता का पदनाम एवं पता : अधीक्षण अभियंता(यॉ0), सिंचाई यॉत्रिक अंचल मीठापुर, पटना (मोबाईल नं०– 8002146036)

तकनीकी निविदा शर्त

1. वाहन का वैध निबंधन (वाणिज्य निबंधन) पत्र बीमा, रोड टैक्स, प्रदूषण प्रमाण पत्र एवं फिटनेस प्रमाण पत्र अद्यतन कोटेशन के साथ समर्पित की जाय।
2. वाहन मालिक का आधार कार्ड, जी० एस० टी०, पैन कोटेशन के साथ समर्पित की जाय।
3 निविदादाताओं को वित्तीय दर निम्नांकित प्रपत्र में देना होगा।

कम	वाहन का प्रकार	दर प्रतिमाह ईंधन सहित 1000 कि0मी0 तक एवं चालक सहित(सभी करों सहित)	दर प्रतिमाह ईंधन सहित 1000 कि0मी0 से अधिक दूरी तय करने पर दर प्रति कि0मी0 (सभी करों सहित)

4. भाडे पर वाहन मार्च 2027 तक लिया जायेगा।
5. वाहन परिवहन विभाग, बिहार सरकार मोटरयान अधिनियम के मानकों के अनुरुप परिचालन योग्य एवं अच्छे हालत में होना चाहिए।
6. वाहन का दैनिक रख–रखाव (चालक सहित) एवं उसके सभी प्रकार के मरम्मति, तौलिया उपलब्ध कराना एवं इसकी दैनिक साफ–सफाई आदि पर होने वाले व्यय वाहन मालिक/फर्म द्वारा किया जायेगा। चालक के वेतन का भुगतान आवासन एवं भोजन आदि की व्यवस्था वाहन मालिक/फर्म द्वारा किया जायेगा।
7. नियमानुकूल सभी प्रकार के करों एवं अन्य शुल्क अदेयता (टोल टैक्स को छोड कर) की जिम्मेदारी वाहन मालिक की होगी।
8. वाहन का कागजात टैक्स बीमा आदि मोटरयान अधिनियम अनुसार अद्यतन होना चाहिए। वाहन का निबंधन व्यवसायिक होना बाध्यकारी है।
9. वाहन चालक के पास अद्यतन एवं वैध व्यवसायिक ड्राईविंग लाईसेन्स होना चाहिए।
10. वाहन की चोरी या दुर्घटना अथवा अन्य क्षति होने पर चालक सहित जिम्मेदारी वाहन मालिक/फर्म की होगी।
11. वाहन के उपयोग के विरुद्ध मासिक किराया इंधन सहित देय होगा।
12. वाहन के उपयोग के लिए लौगबुक का संधारण वाहन चालक की जबाबदेही होगी, जिसका उपयोग करने वाले पदाधिकारी यात्रा प्रयोग सबंधी आवश्यक प्रविष्टि करेंगे जिसके आधार पर वाहन का मासिक किराया इंधन सहित भुगतान किया जायेगा।
13. वाहन का किराया प्रतिमाह दर समाहरणालय, पटना, जिला नजारत शाखा के ज्ञापांक 2207 दिनांक 22.07.2025 द्वारा निर्धारित अनुसूचित दर के बराबर या कोटेशनदाता द्वारा उद्धत दर में से न्यूनतम दर स्वीकार होगा। कोटेशन दाता के साथ रुपये 1000.00 (एक हजार) मात्र के स्टाम्प पेपर पर एकरारनामा किया जायेगा और उन्हें वाहन उपलब्ध कराने का आदेश दिया जायेगा। सेवा सतोषजनक नहीं होने पर अथवा वाहन की आवश्यकता नहीं रहने पर कभी भी बिना कारण बताये एकरारनामा समाप्त किया जा सकता है।

14. वाहन का वैध निबंधन (वाणिज्य निबंधन) पत्र, बीमा, रोड टैक्स एवं प्रदूषण प्रमाण पत्र एवं फिटनेस प्रमाण पत्र वाहन परिचालन के दौरान अद्यतन रखना होगा।
15. आवयकतानुसार वाहन का उपयोग दिन एवं रात्री समय में होता है। अतः इस हेतु कोई अतिरिक्त शुल्क/किराया देय नहीं होगा।
16. वाहन का उपयोग वाहन मालिक/वाहन आपूर्तिकर्ता निजी अथवा अन्य व्यवसायिक उपयोग में नहीं करेगे।
17. वाहन उपयोग हेतु 24 घंटे संबंधित पदाधिकारियों के नियंत्रण में रहेगा एवं किसी भी परिस्थिति में बिना अनुमति के कार्यालय परिसर से बाहर नहीं जायेगा। वाहन खराब हो जाने पर वाहन मालिक/फर्म का दायित्व होगा कि वे तुरंत दुसरा वाहन उपलब्ध करायेगें अगर वे ऐसा नहीं करते है तो उस दिन का भाडे का भुगतान दोगुणा दर से कटौती कर ली जायेगी।
18. कोटेशन कभी भी बिना कारण बताए अधोहस्ताक्षरी द्वारा रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
19. संबंधित मद में आवंटन उपलब्ध होने पर नियमानुसार करो की कटौती के पश्चात भुगतान की जायेगी।
20. अगर सेवा संतोषजनक रहा तो अगले वित्तिय वर्ष में भी सेवा ली जा सकती है।
21. वाहन मालिक/सेवा प्रदाता को वाहन से संबंधित सभी प्रकार के करों अर्थात् GST, Income Tax इत्यादि के भुगतान की देयता स्वयं करना होगा। विभाग/कार्यालय द्वारा मात्र वाहन के उपयोग के विरुद्ध निर्णित मासिक दर से इंधन सहित देय होगा।
22. दर प्रतिमाह ईधन सहित 1000 कि0मी0 से अधिक दूरी तय करने पर दर प्रति कि0मी0 16.00 (सोलह) रूपये से अधिक मान्य नहीं होगा।
23. आवश्यकतानुसार वाहन मुख्यालय से बाहर भी जा सकता एवं रह सकता है उक्त हेतु किसी प्रकार का अतिरिक्त राशि के भुगतान का दावा मान्य नहीं होगा।

इच्छुक वाहन मालिक/फर्म उक्त क्रमांक 01 से 23 तक के शर्तो को स्वीकार करने से संबधित अपना शपथ–पत्र (नोटरी द्वारा निर्गत) के साथ समर्पित करेगें। एक से अधिक समान न्यूनतम दर के कोटेशन प्राप्त होने पर वैध कोटेशनदाता के बीच लॉटरी के माध्यम से वाहन मालिक/फर्म का चयन किया जायेगा। वाहन मालिक / वाहन आपूर्तिकर्ता लॉटरी के समय उपस्थित रहेगें अथवा इनके प्रतिनिधि की उपस्थिति बिना भी लॉटरी किया जायेगा तथा इस संबंध में कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।

शपथ पत्र एवं वांछित कागजात नहीं रहने पर कोटेशन अमान्य कर दिया जायेगा।

विश्वासभाजन

ह0/
(ई0 अभिजीत कुमार)
अधीक्षण अभियंता(यॉ0),
सिंचाई यॉत्रिक अंचल मीठापुर, पटना।

पत्रांक– 321 पटना, दिनांक–18/03/2026.

प्रतिलिपिः– जन सम्पर्क पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय वेवसाईट के माध्यम से प्रचार–प्रसार हेतु समर्पित।
अनुलग्नकः– कोटेशन आमंत्रण का साफ्ट कॉपी।

(ई0 अभिजीत कुमार)
अधीक्षण अभियंता(यॉ0),
सिंचाई यॉत्रिक अंचल मीठापुर, पटना।